

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 25.02.2023

गैर इरादतन हत्या के आरोप में बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में घटित चोरी, लूट, हत्या मारपीट के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गीडा के कुशल निर्देशन में मु0अ0सं0 98/2023 धारा 279,304 भादवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित बाल आपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 23.02.2023 को ट्रैक्टर ट्राली के नाबालिक चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चला कर वादी की लड़की को ठोकर मार दिया गया था जिससे वादी की पुत्री बुरी तरह घायल हो गयी थी जिसकी दवा ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा थाना गीडा पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 98/2023 धारा 279,304 भादवि थाना गीडा, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 भावानी प्रसाद पाण्डेय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. का0 सुमन्त यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर